भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1970

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

इन्क्यूबेटर और स्टार्टअप

1970. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य से चयनित इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअपों की जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2021-25 तक चयनित इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअपों के लिए राज्यवार कितनी निधि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास इनक्यूबेटर के अंतर्गत चयनित स्टार्टअपों द्वारा सृजित नौकरियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक आन्ध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के शिकायत प्रकोष्ठ के अंतर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों के आकलन और निपटान में विलंब जैसे किसी मुद्दे पर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस से वर्ष 2021-22 से आरंभ करते हुए 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह स्कीम अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए पात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्टार्टअप्स का चयन करते हैं। एसआईएसएफएस को 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है।

दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत 217 इन्क्यूबेटरों का चयन किया गया है, जिनके लिए कुल स्वीकृत निधि 916.91 करोड़ रुपए है, जिसमें से 493.22 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत इन्क्यूबेटरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने 487.45 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित वित्तपोषण हेतु 2,647 स्टार्टअप्स का चयन किया है, जिसमें से चयनित स्टार्टअप्स को 351.5 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं। 31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत, इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इसके अलावा, स्कीम के तहत स्वीकृत इन्क्यूबेटरों द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थी स्टार्टअप्स द्वारा 16,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों (स्वयं संसूचित) का सृजन किया गया है।

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में, इस स्कीम के तहत 7 इन्क्यूबेटरों का चयन किया गया है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने आंध्र प्रदेश राज्य से 46 स्टार्टअप्स का चयन किया है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में चयनित इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स का जिलावार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) और (च): स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत, पात्र स्टार्टअप्स को चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसआईएसएफएस की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) निधियों के आबंटन हेतु इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक चयनित इन्क्यूबेटर, एक इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) का गठन करता है, जो प्रारम्भिक सहायता के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और चयन करते हैं। आईएसएमसी, पात्र स्टार्टअप्स के लिए निधीयन की मात्रा और प्रकार (एसआईएसएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार) निर्धारित करता है। इसलिए, स्टार्टअप्स की किसी भी शिकायत, जिसमें आवेदनों के मूल्यांकन और संवितरण से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, की जांच ईएसी द्वारा एसआईएसएफएस के तहत चयनित संबंधित इन्क्यूबेटर द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से दर्ज की गई एसआईएसएफएस से संबंधित शिकायतों की भी जांच की जाती है और सीपीजीआरएएमएस की मौजूदा प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के अंतर्गत चयनित इन्क्यूबेटरों का आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**इन्क्यूबेटरों की संख्या**	**कुल अनुमोदित निधि (करोड़ रुपए में)**	**कुल संवितरित निधि (करोड़ रुपए में)**
1.	आंध्र प्रदेश	7	29.40	16.15
2.	असम	3	12.60	2.94
3.	बिहार	4	18.90	8.44
4.	छत्तीसगढ	2	3.15	1.56
5.	दिल्ली	13	51.45	23.55
6.	गोवा	5	15.54	9.03
7.	गुजरात	22	81.38	39.51
8.	हरियाणा	6	21.00	9.30
9.	हिमाचल प्रदेश	3	13.65	6.96
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1	5.25	2.10
11.	झारखंड	1	4.20	1.68
12.	कर्नाटक	22	104.48	55.29
13.	केरल	5	18.90	12.36
14.	मध्य प्रदेश	7	26.25	16.41
15.	महाराष्ट्र	29	113.40	56.57
16.	मिजोरम	2	4.20	1.99
17.	नागालैंड	2	7.35	3.57
18.	ओडिशा	10	39.38	21.96
19.	पुदुच्चेरी	2	8.40	6.78
20.	पंजाब	9	38.85	22.79
21.	राजस्थान	12	54.60	30.90
22.	सिक्किम	1	3.15	2.17
23.	तमिलनाडु	20	91.35	50.34
24.	तेलंगाना	12	71.35	42.29
25.	उत्तर प्रदेश	13	60.90	37.56
26.	उत्तराखंड	2	10.50	7.35
27.	पश्चिम बंगाल	2	7.35	3.68
28.	**कुल**	**217**	**916.91**	**493.22**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के तहत इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स का आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स की संख्या**	**कुल अनुमोदित निधि (करोड़ रुपए में)**	**कुल संवितरित निधि (करोड़ रुपए में)**
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.04	0.04
2.	आंध्र प्रदेश	46	9.73	6.40
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.20	0.20
4.	असम	38	5.52	4.46
5.	बिहार	43	7.87	5.54
6.	चंडीगढ़	14	2.85	2.40
7.	छत्तीसगढ	18	2.16	1.31
8.	दिल्ली	180	34.74	25.31
9.	गोवा	22	2.81	1.88
10.	गुजरात	187	35.62	22.50
11.	हरियाणा	123	21.08	15.04
12.	हिमाचल प्रदेश	19	2.99	1.46
13.	जम्मू एवं कश्मीर	13	2.55	1.61
14.	झारखंड	15	3.03	2.03
15.	कर्नाटक	344	75.23	58.75
16.	केरल	55	10.36	7.17
17.	मध्य प्रदेश	111	17.53	12.69
18.	महाराष्ट्र	470	86.94	62.26
19.	मणिपुर	3	0.30	0.30
20.	मेघालय	2	0.24	0.22
21.	मिजोरम	7	1.15	0.76

22.	नागालैंड	19	3.87	3.11
23.	ओडिशा	90	11.51	7.46
24.	पुदुच्चेरी	6	0.97	0.82
25.	पंजाब	45	6.98	3.72
26.	राजस्थान	102	17.99	12.80
27.	सिक्किम	2	0.20	0.15
28.	तमिलनाडु	262	45.41	34.22
29.	तेलंगाना	158	35.00	27.20
30.	उत्तर प्रदेश	190	32.65	22.77
31.	उत्तराखंड	17	3.73	2.32
32.	पश्चिम बंगाल	44	6.22	4.64
	कुल	**2647**	**487.45**	**351.50**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में एसआईएसएफएस के तहत चयनित कुल इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**जिला**	**इन्क्यूबेटरों की संख्या**	**इनक्यूबेटर्स द्वारा चयनित स्टार्टअप्स की संख्या**
1.	अनंतपुरमु	1	2
2.	चित्तूर	-	4
3.	गोदावरी पूर्व	-	6
4.	गुंटूर	1	1
5.	काकीनाडा	-	1
6.	कृष्णा	-	5
7.	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	-	1
8.	तिरुपति	1	1
9.	विशाखापत्तनम	3	17
10.	विजयनगरम	-	1
11.	गोदावरी पश्चिम	1	4
12.	वाई.एस.आर.	-	3
	कुल	**7**	**46**

*****